(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 430–चार/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 62/2002–03 निगरानी

1– मुन्नालाल पुत्र गौरीशंकर ग्राम दबोह
तहसील लहार जिला भिण्ड
2– प्रभूदयाल (मृतक) पुत्र छीते
वारिस
(अ) महिला रामकली पत्नि स्व.प्रभूदयाल
(ब) विक्रम सिंह पुत्र प्रभूदयाल
(स) गुडडी पुत्री प्रभूदयाल ग्राम खूजा
तहसील लहार जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामजीलाल 2– रमेशचन्द्र
पुत्रगण जियालाल निवासी ग्राम
खूजा तहसील लहार जिला भिण्ड
3– महिला अमरवती पत्नि भगोने
ग्राम सेंथरी तहसील लहार जिला भिण्ड --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक–1 व 2 के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक–3 तरतीवीं अनावेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 28–4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 62/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–12–2003 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा रतनपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 178 रकबा 2.269 के भाग 1/6 का भूमिस्वामी प्रभूदयाल पुत्र छीते किरार निवासी ग्राम खूजा था, जिसने अपने भाग 1/6 की भूमि रकबा 0.378 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पंजीकृत विक्रय पत्र से मुन्नालाल पुत्र गौरीशॅकर को विक्रय कर दी। बंदोवस्त के दौरान भूमि सर्वे नंबर 178 रकबा 2.269 का नया नंबर 199 रकबा 2.25 हैक्टर बना। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4 पर प्रविष्टि दिनांक 5-7-97 पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विक्रेता के स्थान पर क्रेता मुन्नालाल पुत्र गौरीशॅकर का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध रामजीलाल एंव रमेशचन्द्र पुत्रगण जयलाल ने अनुविभागीय अधिकारी लहार/मिहोना/रौन के समक्ष अपील क्रमांक 15/1999-2000 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29-6-2002 से नामान्तरण आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 135/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-02 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-6-2002 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 62/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-12-2003 से अपर कलेक्टर, भिण्ड का आदेश दिनांक 26-8-02 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि के दो विक्रय पत्र संपादित हुये हैं जिन पर से यह अपील/निगरानी प्रकरण प्रचलित हैं। मौजा रतनपुरा की भूमि सर्वे कमाक 178 रकबा 2.269 हैक्टर में विक्रेता प्रभूदयाल पुत्र छीते का हिस्सा 1/6 है जिसे उसने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30-6-1992 से रामजीलाल, रमेश चन्द्र पुत्रगण जयलाल किरार के हित में विक्रय पत्र संपादित कराया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस विक्रय पत्र से केतागण व्दारा यथासमय नामांत्रण नहीं कराया। परिणामतः अभिलेख में विक्रेता भूमिस्वामी दर्ज चला आया और उसने इसी भूमि का दूसरा विक्रय पत्र मुन्नालाल पुत्र गौरीशॅकर निवासी दवोह के हित में दिनांक 12 सितम्बर,1996 को संपादित करा दिया और ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर प्रविष्टि दिनांक 5-7-97 पर सरपंच ग्राम पंचायत व्दारा विक्रेता के स्थान पर केता मुन्नालाल पुत्र गौरीशॅकर का नामान्तरण कर दिया गया, इसी नामान्तरण आदेश पर मूल विवाद उत्पन्न हुआ है। ग्राम की नामान्तरण पंजी के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमि के पूर्व केता रामजीलाल, रमेश चन्द्र पुत्रगण जयलाल किरार हैं उन्हें नामान्तरण कार्यवाही के दौरान पक्ष प्रस्तुत करने एंव उनके व्दारा नामान्तरण कराया गया है अथवा क्यों नहीं कराया है - पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है, जिसके कारण पक्षकारों की सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने

वाले आदेश दिनांक 29-6-2002 को अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 30-12-2003 से स्थिर रखने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है क्योंकि उभय पक्ष को तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त रहेगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 62/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-12-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर